राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रघुराज सिंह बनाम केप्टिन नारायण सिंह

तारीख हुक्म	60/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/05/2026 को पेश हो।	
15/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24/11/2024 पारित करते हुये अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा. 3 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की अनदेखी कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटी कारित की गयी है। इसके अतिरिक्त दौराने बहस यह भी जाहिर हुआ है कि रेस्पो. संख्या 1 जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी रहे है की खाते की आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी नही हुई है एवं प्रकरण के विधिक निस्तारण के लिये तथा पक्षकारान के मध्य विवाद की समाप्ति के लिये प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी उपरान्त ही निस्तारण किया जाना उचित समझा जाता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24/11/2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 को उनकी खाते की आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने एवं उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान कर बाद प्राप्ति उक्त रिपोर्ट पक्षकारान की सुनवाई कर युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	